आदेश

नई दिल्ली, 13 जून, 2022

- का.आ. 2731(अ).—केंद्र सरकार की भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के पश्चात यह राय है कि, जनहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, इथाइलीन ग्लाइकॉल (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2021 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है. अर्थात:-
- 1. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना (1) इस आदेश का नाम इथाइलीन ग्लाइकॉल (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2022 है।
 - (2) यह राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।
- 2. इथाइलीन ग्लाइकॉल (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2021 में, पैरा 1 में, उप-पैरा (2) के लिए, निम्नलिखित उप-पैरा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थातु: -
- "(2) यह आदेश 22 दिसंबर, 2022 को प्रवृत्त होगा।"

[फा. सं. पीसी-II 46016/6/2020-टेक. सीपीसी भाग-2]

एन. के. संतोषी, उप महानिदेशक

नोट: मूल आदेश को दिनांक 28 दिसंबर, 2021 की अधिसूचना संख्या का.आ. 5435 (अ) के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित किया गया था।

ORDER

New Delhi, the 13th June, 2022

- **S.O.** 2731(E).—In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following Order to amend the Ethylene Glycol (Quality Control) Order, 2021, namely:—
- **1. Short title and commencement.** (1) This Order may be called the Ethylene Glycol (Quality Control) Amendment Order, 2022.
 - (2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
- 2. In the Ethylene Glycol (Quality Control) Order, 2021, in paragraph 1, for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:—
- "(2) This order shall come into force on the 22nd day of December, 2022."

[F. No. PC-II 46016/6/2020-Tech.CPC Pt-2]

N. K. SANTOSHI, Dy. Director General

Note: The principal order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Subsection (ii), dated the 28th December, 2021, vide notification number S.O. 5435(E), dated 24th December, 2021.